क्रमांक 35/17/90-5 जी एस-II

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष ।
2. आयुक्त अम्बाला, हिसार, रोहतक एवं गुड़गांव मण्डल ।
3. सभी उपायुक्त एवं उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) ।
4. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट,, चण्डीगढ़ ।

दिनांक: 27-3-91

विषय:- सेवा अवधि के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को नौकरी तथा अन्य सुविधायें प्रदा करना ।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 16/21/88-6 जी. एस-II दिनांक 3-11-88 द्वारा जारी की गई हिदायतों के बारे निम्नलिखित स्थिति स्पष्ट करने के आदेश हुये हैं:—

(I) हिदायतों में यह लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति को अनुग्रहपूर्वक अनुदान की नीति के अन्तर्गत नौकरी की सुविधा उपलब्ध कराई जानी है, यदि वह नाबालिग है तो भी मृतक के आश्रितों द्वारा उस व्यक्ति को नौकरी दि जाने के लिये मृतक की मृत्यु के पश्चात 3 वर्ष के अन्दर-2 प्रार्थनापत्र सरकार को विचार/निर्णय हेतु भेज देना चाहिये परन्तु हिदायतों में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि मृतक की मृत्यु के पश्चात उसके नाबालिक आश्रित को जिसे अनुग्रहपूर्व अनुदान की नीति के अन्तर्गत नौकरी की सुविधा प्रदान की जानी है, उसके बारे केवल प्रार्थनापत्र ही सरकार को 3 व के अन्दर-2 पहुंच जाना चाहिये या नौकरी भी केवल 3 वर्ष के अन्दर-2 ही दी जानी चाहियें । सरकार ने निर्णय लिय है कि ऐसी स्थिति में मृतक की मृत्यु के पश्चात उसके आश्रितों द्वारा वर्तमान हिदायतों अनुसार नाबालिग आश्रित क नौकरी देने के लिये प्रार्थनापत्र तो सरकार को मृतक की मृत्यु के 3 वर्ष के अन्दर-2 दे देना चाहिये परन्तु जब व नाबालिग बच्चा 17 वर्ष का हो जाये तो उसी समय उसकी नौकरी के बारे पूर्ण प्रस्ताव विभाग द्वारा सरकार को भे देना चाहिये और यह प्रस्ताव उस नाबालिग बच्चे के 17 वर्ष का होने जाने के 6 मास के अन्दर-2 हर हालत सरकार के पास पहुंच जाना चाहिये वरना ऐसे मामले पर किसी हालत में भी सरकार द्वारा विचार नहीं किया जायेग और इसके लिये विभाग जिम्मेवार होगा ।

(II) दिनांक 3-11-88 से पहले जब किसी कर्मचारी की सरकारी सेवा के दौरान मृत्यू हो जाती थी त उसके आश्रितों द्वारा किसी भी समय नौकरी की सुविधा के लिये प्रार्थनापत्र दिया जा सकता था परन्तु 3-11-88 क सरकार द्वारा हिदायतें जारी की गई थी जिसमें यह लिखा गया था कि भविष्य में मृत्यु के 3 वर्ष के अन्दर-2 ही प्रार्थन पत्र प्राप्त हो जाना चाहिये । इन हिदायतों में यह भी कहा गया था कि यह हिदायतें, जो मामले पहले प्राप्त हो चुकें ह उन पर भी लागू होंगी परन्तु इन हिदायतों में जो पुराने मामले थे, उनको कोई समय नही दिया गया था कि या उन्होंने नौकरी की सुविधा के लिये आवेदनपत्र नहीं दिया तो वे 3-11-88 के पश्चात कब तक ऐसे आवेदनप दे सकते हैं । सरकार ने अब निर्णय लिया है कि जिन कर्मचारियों की मृत्यु 3-11-88 से पहले ह गई थी और उनके आश्रितों द्वारा यदि 3-11-88 को हिदायतें जारी किये जाने के पश्चात 6 मास के अन्दर-2 (3-5-8 तक) नौकरी के लिये प्रार्थनापत्र दे दिया था तो उन पर विचार कर लिया जाये ।

2. कृपया इन हिदायतों की कड़ी पालना की जाये और इस पत्र की पावती भी सरकार को भेजी जाये

भवदीय

हस्ता:

अवर सचिव, प्रोटोकोल,